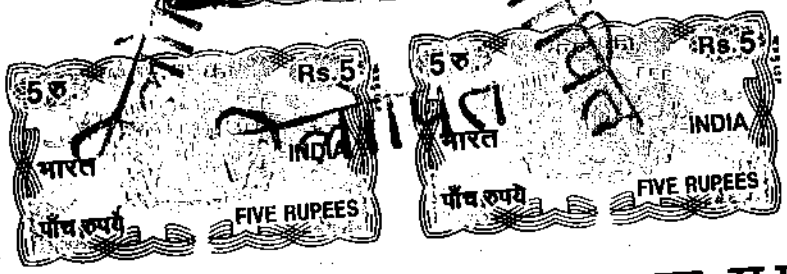

(47)

न्यायालय :– माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क. /2016 निगरानी निग-1763-I-16

1. धनपाल पुत्र मोतीलाल बंजारा
2. शम्भू पुत्र थानू बंजारा
3. अनीषा खात्मा पत्नि सादिक खॉन
4. कैलाशी बाई पत्नि गुलाब बंजारा
5. बृजमोहन पुत्र गुलाब बंजारा
6. नरसिंह पुत्र धन्ना बंजारा
7. रामलक्ष्मण पुत्र काना बंजारा
8. मोविन बाई पत्नि नसरूद्दीन
9. श्रीमोहन पुत्र गोपी बंजारा
10. इन्सार पुत्र कमरूद्दीन
11. इरफान खॉन पुत्र लतीफ खॉन
12. अकरम पुत्र सेफूद्दीन
13. रामदयाल पुत्र सलपट बंजारा

समस्त निवासीगण ग्राम भीखापुर तह. व जिला श्योपुर म.प्र.

.......आवेदकगण

S.P. Dhakad Ad. द्वारा आज दि 02/06/16 को प्रस्तुत
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

बनाम

मध्य प्रदेश शासन

.........अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 न्यायालय अपर कलेक्टर महोदय जिला श्योपुर के प्र.क. 16/स्व. निगरानी/10–11 में पारित आदेश दिनांक 19.05.2016 के विरुद्ध निगरानी प्रस्तुत।

माननीय न्यायालय,

आवेदकगण की ओर से निगरानी निम्न प्रकार पेश है :–

प्रकरण के तथ्य :–

1. यह कि, प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, विवादित भूमिं ग्राम भीखापुर तह. श्योपुर जिला श्योपुर के सम्बंध में आवेदकगण द्वारा कब्जे के आधार पर दिनांक 02.10.1984 विशेष उपबन्ध अधिनियम के तहत व्यवस्थापन हेतु ... आवेदन पत्र पर से प्रकरण पंजीवद्ध किया जा

निगरानी-1763-V/16 (श्योपुर)

4-7-16

प्रकरण आदेश हेतु प्रस्तुत हुआ। अवलोकन किया गया। यह निगरानी अपर कलेक्टर, श्योपुर व्दारा प्रकरण कमांक 16/2010–11 स्वममेव निगरानी में पारित आदेश दिनांक 19–5–2016 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों के अवलोकन से परिलक्षित है कि नायव तहसीलदार वृत्त–1 मानपुर तहसील श्योपुर ने प्रकरण कमांक 173/2005–06 अ–19 में पारित आदेश दिनांक 16–10–2006 से म0प्र0कृषि प्रयोजन के लिये उपयोग की जा रही दखल रहित भूमि पर भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना (विशेष उपबंध) अधिनियम 1984 के अंतर्गत निम्नानुसार भूमिहीनों के बीच उनके नाम

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण कमांक 1763–एक/2016 निगरानी जिला श्योपुर

कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों अभिभाषकों के हस्ताक्षर

के सामने अंकित अनुसार भूमि का बंटन किया :–

क0 नाम आवंटिती	स0नं0	रकबा है.में
1– रामदयाल पुत्र सलपट	249 मिन	0.418
2– धनपाल पुत्र मोतीलाल	240 मिन	0.836
3– कैलाशीवाई पत्नि गुलाब	240 मिन	0.836
4– मोबिनवाई पत्नि नसरूद्दीन	123 मिन	1.045
5– ब्रजमोहन पुत्र गुलाब बंजारा	240 मिन	0.836
6– नरसिंह पुत्र धन्ना बंजारा	157/4	1.045
7– मोहन पुत्र गोपी बंजारा	158/2	0.428
8– रामलक्ष्मण पुत्र काना बंजारा	248 मिन	0.418
9– शंभू पुत्र थानू बंजारा	232 मिन	0.418
10–इंसार पुत्र कमरूद्दीन	116 मिन	0.627
11–अनीसा पत्नि सादिक	116 मिन 118	0.418 0.627
12–इरफान पुत्र लतीफ खान	116 मिन	0.627
13–अकरम पुत्र सैफुद्दीन	123 मिन	0.627

3/ आवेदकगण के अभिभाषक ने बताया कि भूमि आवंटन में प्राप्त करने के वाद हलका पटवारी एंव राजस्व निरीक्षक ने आवंतियों को मौके पर जाकर भूमि नापकर कब्जा प्रदान किया है एंव चतुर्सीमायें बताई है तभी से आवेदकगण निरन्तर खेती आ रहे हैं। आवंटन में भूमि प्राप्त करने के वाद आवेदकगण ने उबड़–खाबड़ भूमि को समतल बनाने में, गोवर आदि का खाद डालकर उपजाउ बनाने में, पानी की सुविधा के लिये चारों ओर बन्धान बनाने में तथा सिंचाई का साधन

करने में काफी श्रम एंव धन लगाया है इसी भूमि पर आवेदकगण के निवास भी बने हुए है। यदि आवेदकगण से वादग्रस्त भूमि छीन ली गई तब उनके परिवार भूँखों मरने की स्थिति में आ जावेंगे। आवेदकगण के अभिभाषक व्दारा प्रस्तुत तर्कों पर यदि मानवीय दृष्टिकोण से विचार किया जाय –

1. इन्दर सिंह तथा अन्य विरूद्व म0प्र0राज्य 2009 रा0नि0 251 का न्यायिक दृष्टांत है कि भूमि का आवंटन किया गया -- सरकारी भूमि घोषित नहीं की जा सकती – क्योंकि सरकारी पदाधिकारियों व्दारा गल्तियाँ की गई – प्रशासनिक अधिकारियों व्दारा की गई प्रकियात्मक त्रृटि के कारण भूमिहीन बंटितियों को भूमि के आबंटन के लाभ से बंचित नहीं किया जा सकता।
2. देवी प्रसाद विरूद्व नाके 1975 श्रण्स्थ्रण 155त्र 1975 त्ण्छण 67 व 1975 त्ण्छण 208 में निर्धारित किया गया है कि भूमि का आवंटन 5 वर्ष पूर्व किया गया। आवंटिती को भूमिस्वामी स्वत्व प्राप्त। तत्पश्चात् आवंटन रद्द नहीं किया जा सकता।

उक्त से स्पष्ट है कि अपर कलेक्टर श्योपुर ने आदेश दिनांक 19–5–2006 पारित करते समय उक्त तथ्यों पर गौर नहीं किया है जिसके कारण अपर कलेक्टर व्दारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर कलेक्टर श्योपुर व्दारा प्रकरण कमांक 16/2010–11 स्वमेव निगरानी में पारित आदेश दिनांक 19–5–16 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एंव निगरानी स्वीकार कर निर्देश दिये जाते हैं कि आवेदकगण के नाम का शासकीय अभिलेख में पूर्ववत् इन्द्राज किया जावे।

सदस्य